राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 157 / 2025 GCMS NO.- 2025/335

नेकीराम पुत्र जयदयाल जाति जाट निवासी ढोसी तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं।

.........प्रार्थीगण

बनाम

1. विजेन्द्र पुत्र जयदयाल जाति जाट निवासी ढोसी जहसील खेतडी।
2. छोटा देवी पत्नी हरफुल
3. विनोद पुत्र हरफुल
4. सरिता पुत्री हरफूल
5. रामसिंह पुत्र चन्द्रभान
6. शीशपाल पुत्र चन्द्रभान
7. सूरतसिंह पुत्र चन्द्रभान
8. सरला पुत्र विनोद
   जाति जाट निवासी ढोसी तहसील खेतडी।
9. लेखराज पुत्र जयनारायण।
10. शकुन्तला पुत्री जयनारायण।
11. श्रयकोर पत्नी जयनारायण।
12. सुबेसिह पुत्र जयनारायण।
13. कमल सिंह पुत्र तेजाराम।
14. जगवीर पुत्र तेजाराम।
15. धर्मवीर पुत्र तेजाराम।
16. नाराणी पत्नी वेदपाल।
17. पवन कुमार पुत्र ताराचंद
18. मणी पत्नी जाराचंद
19. सावित्री देवी पत्नी नरेशपाल
    समस्त जाति जाट निवासी ढोसी तहसील खेतडी।
20. रेखा पत्नी सन्दीप
21. राजबाल पत्नी अजीत
    निवासीगण नारनौल शहर जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)।
22. छोटेलाल पुत्र वीरसिंह।
23. विजेन्द्र सिंह पुत्र वीरसिंह।
24. शकुन्तला पत्नी वीरसिंह
25. धारा सिंह पुत्र माडूराम
26. वेंदव पत्नी चैनसुख।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:57:10 IST
Reason: SelfAttested

27. सुनिता देवी पत्नी महावीर प्रसाद।
28. सीमा देवी पत्नी सुमेरसिंह।
    समस्त जाति जाट निवासी ढोसी तहसील खेतडी।
29. सावित्री देवी पत्नी औमप्रकाश निवासी कुलताजपुर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
30. जगमाल पुत्र रतिराम।
31. भरत सिंह पुत्र रतिराम।
32. निखिल कुमार पुत्र राजवीर
33. सन्तोष पत्नी राजवीर।
34. सुमेर सिंह पुत्र जयदयाल।
35. कमला पत्नी नोरंगलाल।
36. भरपाई पत्नी नोरंगलाल।
37. योगेन्द्र कुमार पुत्र नोरंगलाल
38. विक्रम सिंह पुत्र नोरंगलाल।
39. सुनिता पुत्री नोरंगलाल।
40. राजेश कुमार पुत्र जयदयाल।
    समस्त जाति जाट निवासी ढोसी तहसील खेतडी।
41. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (भारतीय स्टेट बैक) शाखा शिमला जरिये शाखा प्रबन्धक ।
42. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिंधाना जरिये शाखा प्रबन्धक।
43. इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा कोलिहान नगर जरिये शाखा प्रबन्धक
44. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतडी

............अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी करवाने</u>
<u>अन्तर्गत धारा 128/111 एल.आर. एक्ट</u>

निर्णय **दिनांक : 17–11–2025**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम ढोसी तहसील खेतडी स्थित भूमि खाता संख्या 235 के खसरा नम्बर 890/612 रकबा 0.32 है., खसरा नम्बर 898/303 रकबा 0.72 है. [illegible] कुल रकबा 1.0420 है. प्रार्थी खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी अपनी [illegible] भूमि खसरा नम्बर 898/303 रकबा 0.72 है. के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 900/303 रकबा 0.2380 है. स्थित है। तथा पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 308 रकबा 1.12 है. भूमि स्थित तथा उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 12 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 310 रकबा 0.81 है. व अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 21 व बाई पत्नी तेजा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 302 रकबा 1.31 है. स्थित है। तथा पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 22 लगायत 29 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 201 रकबा 0.84 है. व अप्रार्थी संख्या 30 लगायत 33 व भगोती पत्नी रतिराम की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:57:10 IST
Reason: SelfAttested

भूमि खसरा नम्बर 200 रकबा 0.74 है. स्थित है। उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 898 / 303 रकबा 0.7220 है. की सीमा के साथ छेडछाड करते है व सीमा को काट देते है, सीमा चिन्ह् को नष्ट कर देते है। प्रार्थी उक्त अप्रार्थीगण को सीमा ठीक करने के लिये कहता है तो वह नही मानते है और मारपीट करने पर आमादा हो जाते है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 890 / 612 रकबा 0.32 है. के पूर्व में अप्रार्थी संख्या 34 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 891 / 612 रकबा 0.3450 है. तथा दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 35 लगायत 39 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 611 रकबा 1.27 है. व पश्चिमी दिशा में अप्रार्थी संख्या 40 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 602 रकबा 0.54 है. स्थित है। उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 890 / 612 रकबा 0.32 है. की सीमा के साथ छेडछाड करते है व सीमा को काट देते है, सीमा चिन्ह् को नष्ट कर देते है। प्रार्थी उक्त अप्रार्थीगण को सीमा ठीक करने के लिये कहता है तो वह नही मानते है और मारपीट करने पर आमादा हो जाते है। प्रार्थी ने तहसीलदार खेतडी को सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार ने पटवारी हल्का ठाठवाडी के नाम से प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 890 / 612, खसरा नम्बर 898 / 303 का सीमाज्ञान करवाने का आदेश दिया। तहसीलदार खेतडी के आदेश क्रमांक 2025 / 6714 / 2की पालना में पटवारी हल्का ठाठवाडी ने दिनांक 05.06.2025 को प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान मौके पर उपस्थिति मौतबिरान के समक्ष कराया और मौके पर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये एवं सीमा चिन्ह कायम किये गये।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 890 / 612, खसरा नम्बर 898 / 303 की सीमा को तोड देते है एवं सीमाचिन्ह को नष्ट कर देते । जब प्रार्थी मना करते है तो मारपीट करने पर आमादा हो जाते है। इसलिए यह आवेदन पत्र प्राथी के खेत खसरा नम्बर 890 / 612, खसरा नम्बर 898 / 303 की पथरगढी करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआं।

अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम ढोसी तहसील खेतडी स्थित भूमि खसरा नम्बर 898 / 303 रकबा 0.72 है. की दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी व पूर्वी सीमा जो खसरा नम्बर 900 / 303, 308, 310, 302, 201, 200 के साथ लगती है तथा खसरा नम्बर 890 / 612 रकबा 0.32 है. की पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी सीमा जो खसरा नम्बर 891 / 612, 611, 602 के साथ लगती है उक्त खसरा नम्बरों सर्वेसीट से नपती करवाकर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 898 / 303 रकबा 0.7220 है. की दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी व पूर्वी सीमा पर तथा खसरा नम्बर 890 / 612 रकबा 0.32 है. की पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी सीमा पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिलर लगवाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित, रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:57:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत 2076–2079 खाता सं. 235,234, 138, 162, 18, 38, 85, 233, 88, 232, नक्शा [illegible], नकल फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2025 पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया। ग्राम ठोसी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 खाता सं. 235 के खसरा नम्बर 890 / 612 रकबा 0.32 है., खसरा नम्बर 898 / 303 रकबा 0.72 है. किता 2 कुल रकबा 1.0420 है. प्रार्थी की एकांकी खातेदारी

दर्ज रिकार्ड हैं। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2025 द्वारा पटवारी हल्का ठाठवाडी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2025 के अनुसार ही पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं जो विधिसम्मत है। आराजी मुतनाजा प्रार्थी की एकांकी खातेदारी भूमि है। जिसकी सुरक्षा, संरक्षा का प्रार्थी का अधिकार है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.06.2025 को तहसीलदार खेतडी के आदेश से पटवारी से सीमाज्ञान करवाया गया था। जिसकी फर्द शामिल पत्रावली है। सीमाज्ञान के सम्यक् समाधान उपरान्त भी अप्रार्थीगण ने आवेदक की भूमि सीमाचिन्ह नष्ट करते हैं। सीमाज्ञान पर किसी तरह का सीमा का विवाद नहीं रहे, इसलिए न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह पक्षकारान की उपस्थिति में वाके ग्राम ढोसी तहसील खेतडी स्थित भूमि खाता संख्या 235 के खसरा नम्बर 890 / 612 रकबा 0.32 है., खसरा नम्बर 898 / 303 रकबा 0.72 है. किता 2 कुल रकबा 1.0420 है. फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2025 के आधार पर सर्वेसीट से उभय पक्षकरान की उपस्थिति में पुनः नपती करवाकर 600 / – रूपये फीस पर सीमा कायम कर के सीमांकन के सम्यक् समाधान उपरान्त प्रार्थी के खर्चे पर सीमाचिन्ह, पत्थरगढी कायम कराए जाने के आदेश दिया जाता है। पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवायें।

निर्णय आज दिनांक ....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:57:10 IST
Reason: SelfAttested